न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 119/2020

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
निम्बाराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी जाखडो की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर		!– जुंजाराम पुत्र विरधा 2– मेघाराम पुत्र कानाराम 3– सोनी पत्नी कानाराम 4– मगाराम पुत्र नरसिंगाराम 5– नारणाराम पुत्र नरसिंगाराम 6– तुलछाराम पुत्र मानाराम 7– भंवरी पत्नी ठाकराराम 8– सवाईराम पुत्र ठाकराराम 9– दमी पत्नी नरसिंगा 10–तगाराम पुत्र दुर्गाराम 11–पुरखाराम पुत्र दुर्गाराम 12–चनणी देवी पत्नी दुर्गाराम 13–हुकमाराम पुत्र तेजाराम 14–सोनाराम पुत्र तेजाराम 15–खेतु पत्नी तेजाराम 16–चिमाराम पुत्र गोमाराम 17–उमाराम पुत्र मुकनाराम 18–रेखाराम पुत्र मुकनाराम उपरोक्त समस्त जातियान जाट 19–सांगाराम पुत्र तगा जाति मेघवंशी 20–अर्जुनराम पुत्र तगा जाति मेघवंशी 21–चेतनराम पुत्र तगा जाति मेघवंशी 22–गंगा पुत्र लाखा जाति जाट 23–तुलछा पुत्र माला जाति जाट 24–ठाकरारम पुत्र भेराराम जाति जाट 25–मगा पुत्र नरिंगा जाति जाट 26–नारणा पुत्र नरिंगा जाति जाट 27–वाला पुत्र रूघाराम जाति जाट 28–वीरा पुत्र रूघाराम जाति जाट 29–मुला पुत्र रूघाराम जाति जाट 30–दाना पुत्र रूघाराम जाति जाट 31–अचलाराम पुत्र गोरधनराम जाट 32–दौलाराम पुत्र गोरधनराम जाट 33–विरधाराम पुत्र गोरधनराम जाट 34–नैनाराम पुत्र गोरधनराम जाट 35–प्रभुराम पुत्र दुर्गाराम जाट 36–कुम्भाराम पुत्र दुर्गाराम जाट 37–रेखाराम पुत्र दुर्गाराम जाट 38–गेनाराम पुत्र दुर्गाराम जाट 39–लालाराम पुत्र भेराराम जाट 40–रामाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट 41–पदमाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट 42–तीजो पत्नी तेजाराम जाति जाट 43–देराजराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम जाखडो की ढाणी, तहसील व जिला बाडमेर 44–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 297/2017 अनवान राजस्थान सरकार बनाम जुंझा वगैरा मे दिनांक 25–5–2017 को पारित किया गया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थितिः—

1—श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2—राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 44 की ओर से ।
3—शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 25—01—2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राज्य सरकार राजस्व विभाग (ग्रुप—6) विभाग के परिपत्र दिनांक 10—8—2016 के अनुसरण मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 44 तहसीलदार बाडमेर की ओर से ऐसे रास्ते जो मौके पर चालू है परंतु उनका राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो के राजस्व रेकर्ड मे अंकन करवाने हेतु ग्राम जाखडो की ढाणी मे स्थाई रास्ता जो सोडियार ग्रेवल सडक से आदर्श सनावडा तक कच्चा कदीमी रास्ता बना हुआ है, जो बाराहमासी है, राजस्व रेकर्ड मे संबंधित पक्षकारान के खाते मे गै.मु.रास्ता के रूप मे अंकन करने बाबत प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष पेश किया ।

जिस पर उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने उक्त प्रस्ताव अनुसार प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 25—5—2017 को पेश होने बाबत आदेशिका ड्रॉ की तथा अधीनस्थ न्यायालय से राजस्व अभिलेख मे रास्ता अंकन करने बाबत खातेदारान को एक सामूहिक नोटिस सूचना बाबत अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25—5—2017 को न्याय आपके द्वार अभियान 2017 स्थान अटल सेवा केन्द्र जाखडो की ढाणी मे उपस्थित होने बाबत दिनांक 4—5—2017 को जारी किया तथा पक्षकारो को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये बिना उसी दिन अपीलाधीन आदेश के द्वारा तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव मे अंकित रकबा खातेदारान के खातेदारी के रकबे मे से गै.भु.रास्ता के रूप मे दर्ज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान अपील निम्न आधारो पर इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज कर पक्षकारान को नोटिस जारी किये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही खातेदारान की खातेदारी की भूमि मे से सीधे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नही किया गया इसलिए अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत एवं धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया हुआ होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश न्यायिक परिभाषा मे नही आता है क्योकि बिना सहमति के खातेदारो की खातेदारी की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता मे दर्ज नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के जरिये अपीलांट के खातेदारी के खेतो के टुकडे

करते हुए रास्ते दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो अवैद्यानिक होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए तथा बिना विधिक प्रकिया अपनाये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 873 के बीचो बीच कोई रास्ता नही है, उसके बावजुद भी पटवारी हल्का ने अपीलांट की गैर मौजुदगी मे अपनी मनमर्जी से एवं राजनीतिक प्रभाव के कारण प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत कर दिया जबकि अपीलार्थी के खसरे के पास अन्य कई खसरे है, जो रास्ते मे आते है एवं वह से नया रास्ता निकालकर अपीलांट के खातेदारी मे से रास्ता दर्शाया गया है, जो गलत है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांट के खातेदारी भूमि के पास खसरा नंबर 150, 132 में से अगर रास्ता निकालते है तो इतनी बडी खातेदारी भूमि का दुरूपयोग नही होता ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–5–2017 को अपास्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की उपस्थिति मे रास्तो का मौका निरीक्षण कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा रास्ते की समस्याओं के समाधान के लिए चलाये गये अभियान के तहत तहसीलदार बाडमेर ने उनके अधीन ऐसे कदीमी/चालू रास्ते जो मौके पर चालू है तथा आमजन के उपयोग मे आ रहा है परंतु उनका रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज नही है, ऐसे रास्तो को चिन्हित कर प्रस्तावित रकबा की किस्म गै0मु0रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं नक्शे मे दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय मे उपखण्ड अधिकारी बाडमेर के समक्ष प्रेषित किया जाने पर जो अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–5–2017 का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलाधीन आदेश पारित करने के संबंध मे अपनाई गई प्रकिया आदि का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने प्रस्ताव मे वर्णित भूमि के खातेदारान को एक सामुहिक नोटिस दिनांक 25–5–2017 को अटल सेवा केन्द्र जाखडो की ढाणी मे उपस्थित रहने बाबत जारी किया तथा दिनांक 25–5–2017 को ही अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बाडमेर के प्रस्ताव अनुसार किसी भी खातेदार को बिना सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये सीधे ही उनके खातेदारी मे से प्रस्तावित रकबा कम करते हुए गै0मु0रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 136 राजस्थान भू

राजस्व अधिनियम मे स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि किसी भी खातेदार के खातेदारी के रकबे मे कमी–बेशी करने से पूर्व खातेदार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी पालना किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ कोई मौका फर्द जिस पर मौतबिरान के अंगुठा निशान या हस्ताक्षर हो, प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह प्रकट है कि पटवारी हल्का ने अपनी मनमर्जी से रास्ते के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है जिन्हे तहसीलदार ने भी हु–ब–हु अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अभिशंषा के साथ अग्रेषित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना पक्षकार खातेदारो को सुने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही माना जा सकता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25–7–2017 मे अपीलांट के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 873 मे से प्रस्तावित रकबा 0.17 बीघा भूमि को गै0मु0रास्ते मे दर्ज करने बाबत पारित किये गये आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट की उपस्थिति मे उसके खातेदारी के खेत मे से चल रहे रास्ते का मौका निरीक्षण कर, उसे सुनकर तथा मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपीलांट एवं अन्य पडौसी खातेदारो के हस्ताक्षर करवा कर यदि उसके खातेदारी के खसरा नंबर 873 मे से रास्ता चालू है तथा आवागमन के उपयोग मे आ रहा है तो उसे बंद किये बिना उसका प्रस्ताव पृथक से बनाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को प्रेषित करे तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर उसके अनुरूप पुनः नये सिरे से विधिवत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 25–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर